कक्षा-10 तैयार कर्ता व प्रस्तुतकर्ता

पत्र लेखन 23.10.20 डॉ.सुनील बहल

कार्यकारी अधिकारी, विद्युत बोर्ड के नाम बिजली की सप्लाई में कमी के सम्बन्ध में आवेदन पत्र लिखिए।

सेवा में

कार्यकारी अधिकारी
विद्युत बोर्ड
विकास नगर

दिनांक : 16.10.2020

विषय : बिजली की सप्लाई में कमी के सम्बन्ध में आवेदन पत्र।

माननीय महोदय,

मैं आपका ध्यान विकास नगर में बिजली की सप्लाई में कमी की ओर दिलाना चाहती हूँ।

मैं विकास नगर की निवासी हूँ। इस क्षेत्र में बिजली की बहुत ही कम सप्लाई की जाती है जिसके कारण यहाँ के लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आजकल भयंकर गर्मी ने भी विकराल रूप धारण किया हुआ है। छोटे-छोटे बच्चों, बीमारों और वृद्धों के लिए तो बिना बिजली के रहना असह्य हो गया है। विद्यार्थी वर्ग के लिए तो बिजली की कम सप्लाई सिर दर्द बनी हुई है। दिन हो या रात, बिजली कभी आती है और कभी चली जाती है। इस तरह सारा दिन बिजली के साथ हमारा आँख-मिचौनी का सिलसिला चलता रहता है। कभी-कभी तो दिन में सिर्फ दो घंटे ही बिजली आती है। बिजली की इस कमी के कारण हमारी पढ़ाइ पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

यहाँ यह भी बताने की चेष्टा की जा रही है कि हमारे आस-पास के क्षेत्रों में बिजली की बिल्कुल कमी नहीं है। अतः आपसे अनुरोध है कि यदि कहीं कोई खराबी है तो उसे तुरन्त ठीक करवाने की कृपा करें।

मं आशा करती हूँ कि आप इस सम्बन्ध में शीघ्र ही कार्यवाही करेंगे।

धन्यवाद सहित।

हर्षिता

(हर्षिता)
मकान नम्बर-78
विकास नगर।
मोबाइल : 2656487581
harshita567@yahoo.co.in

'रोज़ाना भारत', पंजाब के समाचार पत्र के मुख्य सम्पादक के नाम 'बालश्रम : एक अपराध' विषय पर एक पत्र लिखिए।

सेवा में

मुख्य सम्पादक
'रोज़ाना भारत'
पंजाब।

दिनांक : **23.11.2015**

विषय : 'बालश्रम : एक अपराध'।

मान्यवर,

मैं आपके लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र 'रोज़ाना भारत' के माध्यम से 'बालश्रम: एक अपराध' विषय पर जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ।

यद्यपि बालश्रम को भारत सरकार द्वारा एक अपराध घोषित किया गया है, फिर भी हमारे इर्द-गिर्द ढाबों, कैन्टीनों, घरों, दुकानों, मोटर गैरजों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों आदि पर न जाने कितने ही ऐसे बच्चे बालश्रम में नियुक्त हैं जिनकी आयु अभी पढ़ने की है। जहाँ एक ओर इन्हें इनके काम की पूरी मज़दूरी नहीं मिलती वहीं दूसरी ओर इनका शोषण भी किया जाता है। मैं यहाँ यह भी बताना चाहती हूँ कि पढ़े-लिखे व आर्थिक रूप से सशक्त लोगों के द्वारा भी घर के छोटे-मोटे कामों और बच्चों की देख-रेख आदि के लिए इन बाल श्रमिकों को ही घरों में रखा जाता है। यदि इस तरह पढ़े-लिखे लोग ही बालश्रम जैसे सामाजिक कलंक में संलिप्त रहेंगे तो दूसरों से क्या अपेक्षा की जा सकती है ?

सरकार द्वारा बालश्रम (निषेध व नियमन) अधिनियम 1986 एवं अन्य कई कानूनों को बनाकर, उनमें समय-समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन किया जाता है किन्तु कानून बनाने के साथ-साथ उसका कठोरता से पालन करना भी ज़रूरी है। कुछ सतर्क नागरिकों, पत्रकारों, समाज-सुधारकों, बाल संरक्षण समितियों आदि के द्वारा बालश्रम के विरुद्ध आवाज़ उठायी भी जाती है, लोगों को जागरूक भी किया जाता है किन्तु जब तक सभी नागरिक सरकार के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर नहीं चलेंगे तब तक इसमें सफलता नहीं मिल सकती। मैं आपके इस पत्र के माध्यम से आगे यह कहना चाहती हूँ कि जो भी सरकार के द्वारा बनाए गए बालश्रम के विरुद्ध कानूनों को तोड़ता है, उसके साथ कठोरता से निपटा जाए।

आपके समाचार पत्र के माध्यम से मैं यह आशा करती हूँ कि सम्बन्धित अधिकारी इस ओर उचित कदम उठाएंगे व जनता उनका साथ देगी।

धन्यवाद सहित।

विनीता शर्मा
(विनीता शर्मा)
मकान नम्बर-145, सेक्टर-18, पानीपत
मोबाइल नम्बर- **1876543981**